—:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री जगराज सिंह भारी —— प्रार्थीगण
2. श्री गुरमेल सिंह ——अप्रार्थी संख्या 1 ता 3
3. श्री संदीप सैन, श्री विनोद बिश्नोई ——अप्रार्थी संख्या 4 ता 7

4. राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा —— अप्रार्थी सं. 8

निर्णय :—

दिनांकः— 30/01/2026

अधिवक्ता प्रार्थी श्री जगराज सिंह भारी की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कियह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:22:52 IST
Reason: SelfAttested

जिसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना है। यह कि जहां तक प्रा. पत्र [illegible] सम्बंध है सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है।

यह कि प्रार्थीगण के ससुर व दादा मानाराम पुत्र बख्ताराम के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 3 बीएचएम बी के खाता सं. 44/40 के प.नं. 94/377 (28) किला 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 25, प.न. 95/376 (24) किला नं. 16 ता 18, 22 ता 25, प.नं. 95/377 (27) किला नं. 3 ता 8, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, प.नं. 96/377 (26) किला नं. 1, 10, 11/1, 11/2 इस प्रकार कुल 10.879 हैक. कमांड अनकमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी दर्ज रिकार्ड ताके है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है ।

यह कि प्रार्थीगण के ससुर व दादा मानाराम का स्वर्गवास दिनांक 07.12.2014 को हो चुका है। जिसके वारीस लाली देवी (पत्नी), धोंकलराम पुत्र, कृष्णा पुत्री, विमला पुत्री, जसवन्त सिंह पुत्र है जिसमें से प्रार्थीगण के पति व पिता जसवन्त सिंह का स्वर्गवास दिनांक 06.12.2015 को हो चुका है जिसके जायज व कानूनी वारीसान प्रार्थीगण ही है व विमला पुत्री मानाराम का स्वर्गवास दिनांक 27.07.2022 को हो चुका है जिसके वारीस अप्रार्थीगण सं. 4 ता 7 है। चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र मानाराम, जसवन्त सिंह, विमला सलग्न प्रार्थना पत्र है ।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में मानाराम के नाम वर्णित कृषि भूमि मानाराम के फौत होने के पश्चात प्रार्थीगण के पिता व पति जसवन्त सिंह को प्राप्त होने वाला 1/5 हिस्सा कृषि भूमि प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है। मानाराम के नाम वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीगण के पति व पिता जसवन्त सिंह का 1/5 हिस्सा बनता है। जसवन्त सिंह के फौत होने के बाद जसवन्त सिंह को प्राप्त 1/5 हिस्सा के प्रार्थीगण ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण अपने 1/5 हिस्सा की कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है परन्तु प्रार्थीगण को प्राप्त होने वाले हक व हिस्सा की कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में मानाराम के नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है इसलिये प्रार्थीगण अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के हकदार है व इसी अनुसार अपना खाता अच्छी मंदी व खाला रास्ता की सुविधा अनुसार तकसीम करवाने के हकदार है।

यह कि अप्रार्थीगण सं. 2, 3 जो कि प्रार्थीगण की नणद / बुआ, सास/दादी है जो कि अप्रार्थी सं. 1 के नाजायज दबाब में है। अप्रार्थी सं.1 जो अप्रार्थी सं. 3 की वृद्धावस्था व अप्रार्थी सं. 2 की अनपढ़ता का फायदा उठाकर मानाराम के नाम दर्ज कृषि भूमि का ऐसा कोई दस्तावेज निष्पादित करवाकर मानाराम के नाम वर्णित कृषि भूमि को हड़पने की फिराक में है व प्रार्थीगण का हक व हिस्सा मारने की फिराक में है व मानाराम के नाम दर्ज कृषि भूमि को अपने नाम करवाकर उक्त समस्त कृषि भूमि को अन्य अजनबी व्यक्ति को औने पौने दामों में रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल करने की फिराक में है। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि से महरूम हो जायेगे व प्रार्थीगण को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी जि[illegible]ई किया जाना नितान्त मुशकिल होगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी[illegible] के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य की [illegible] अधिकारी है कि अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि को अपने नाम द[illegible]यों को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथारिथति ब[illegible] रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:22:52 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि अप्रार्थीगण तहसील पीलीबंगा के चक 3 बीएचएम बी के खाता सं. 44/40 के प.नं. 941377 (28) किला 1/1, 1/2, 2/1, 2/2,

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

[illegible]/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 25, प.न. 95/376 (24) किला नं. 16 [illegible]22 ता 25, प.नं. 95/377 (27) किला नं. 3 ता 8, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, [illegible] 96/377 (26) किला नं. 1, 10, 11/1, 11/2 इस प्रकार कुल 10.879 हैक. [illegible] अनकमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी कृषि भूमि को अपने नाम दर्ज करवाकर [illegible] व्यक्तियों को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 ता 7 की ओर से श्री संदीप सैन अधिवक्ता हाजिर वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत किया गया जवाव प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 4 से 7 निम्न प्रकार से प्रस्तुत है– यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में दर्ज यह तथ्य कि उक्त अनवान का वाद पत्र श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है स्वीकार है परन्तु इस वाद पत्र में प्रार्थीगण को कामयाबी की कोई सम्भावना नहीं है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज सजरा खानदान स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक राजस्व अभिलेख स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 अस्वीकार है। मृतक मानाराम के वारीसान का उनके नाम दर्ज कृषि भूमि में 1/5—1/5 हिस्सा का हक व हिस्सा है परन्तु प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 का इस समस्त भुमि पर 1/5 हिस्सा की हद तक कब्जा काश्त ना होकर 1/2 हिस्सा की हद तक कब्जा कर रखा है शेष वारीसान के हिस्से की भुमि का कब्जा ना देने की नियत से प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 के साथ मिलकर यह दावा व प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय के समक्ष अधुरे तथ्य पेश कर एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त किया है। हम अप्रार्थीगण ने मृतक नाना मानाराम के नाम दर्ज कृषि भूमि का विरास्तन नामान्तरण दर्ज करवाने के लिए प्रार्थना पत्र तहसीलदार पीलीबंगा के मार्फत पटवारी हल्का को प्रेषित किया था। इस प्रार्थना पत्र के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में विरास्तन नामान्तरण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी थी जिसका जमाबन्दी में अंकन भी दर्ज हो गया था परन्तु प्रार्थीगण ने अपने पास पूर्व में दिनांक 27.11.2024 को ई–मित्र से प्राप्त की गई जमाबन्दी के आधार पर उक्त अनवान दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है। दिनांक 02.12.2024 को जमाबन्दी में विरास्तन नामान्तरण संख्या 325 का अंकन दर्ज हो गया था जिसके प्रक्रियाधीन रहते प्रार्थीगण ने उक्त अनवान का दावा व प्रार्थना पत्र पेश कर एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त कर विरास्तन नामान्तरण की प्रक्रिया को बीच में रूकवा दिया। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न जवाब प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 में दर्ज तथ्य कतई मिथ्यारचित होने से स्वीकार नहीं। है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के साथ मिलिभगत कर हम अप्रार्थीगण को इस पैतृक सम्पति में हिस्सा न देने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रशनगत कृषि अभी राजस्व रिकार्ड में मृतक मानाराम के नाम दर्ज है जिस बाबत कोई भी दस्तावेज निष्पादित नहीं करवाया जा सकता है प्रार्थीगण ने मात्र प्रार्थना पत्र के तथ्यों को रंगत देने की नियत से झूठे व मिथ्या कथन अंकित किये है [illegible] भूमि का विरास्तन नामान्तरण दर्ज करवाने के लिए एक प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार पीलीबंगा के यहां पेश किया था जिसे आनलाईन करवाने के बाद पटवारी हल्का [illegible] संख्या 325 दिनांक 02.12.2024 को विरास्तन नामान्तरण दर्ज [illegible] राजस्व रिकार्ड में प्रक्रियाधीन दर्ज है प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के साथ मिलकर [illegible]त्र हम अप्रार्थीगण को उनके हिस्सा की भुमि ना देने की नियत से यह झूठे तथ्यों पर आधारित प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय से एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त किया है। मृतक मानाराम के नाम दर्ज कृषि भुमि में उनके सभी वारीसान का 1/5 – 1/5 हिस्सा का हक व हिस्सा है तथा इतने ही हिस्सा की कृषि भुमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:22:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

काश्त कर सकते है परन्तु प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 हिस्सा से अधिक कृषि भूमि काश्त करते आ रहे है जब सभी वारीसान के नाम विरासतन नामान्तरण दर्ज हो जायेगा तो सभी वारीसान को उनके हिस्सा की भूमि मिल जायेगी परन्तु इनका कब्जा फिर 1/5 हिस्सा की हद तक ही रह जायेगा इसलिए प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थी संख्या 1 ने आपस में मिलिभगत कर झूठे तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थीगण को कोई अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति नही हो रही। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में ना होकर हम अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारीज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री गुरमेल सिंह ढिल्लों हाजिर वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 2 की ओर से निम्न प्रकार से है – यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होना मात्र स्वीकार है लेकिन उसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की कोई सम्भावना नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कथन सजरा खानदान से सम्बधित है जो प्रार्थीगण स्वंय सिद्ध करे। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कथन मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कथन प्रार्थीगण स्वंय सिद्ध करे। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित कथन स्वीकार है। मानाराम के नाम वर्णित कृषि भूमि में मानाराम के फौत होने के बाद प्रार्थीगण के पिता व पति जसवन्त सिंह को प्राप्त होने वाले 1/5 हिस्सा कृषि भूमि प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है। जिसकी प्रार्थीगण धोषणा प्राप्त करने के हकदार है व अच्छी मंदी व खाला रास्ता की सुविधा अनुसार प्रार्थीगण का खाता विभाजन किया जावे तो मिन अप्रार्थी को कोई आपति व एतराज नही होगा ।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 में वर्णित कथन मनगढ़त व असत्य होने से अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी किसी के नाजायज दबाव में नही है प्रार्थीगण ने तमाम तथ्य मिथ्या व झूठे अकिंत किये है व ना ही उक्त कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन बैय करने की फिराक में है।

प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति नहीं हो रही है ना ही प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 की और से निम्न प्रकार से है –यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होना मात्र स्वीकार है लेकिन उसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की कोई सम्भावना नही है

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कथन सजरा खानदान से सम्बधित है जो प्रार्थीगण स्वंय सिद्ध करे। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कथन मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कथन प्रार्थीगण स्वंय सिद्ध करे। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित कथन स्वीकार है । मानाराम के नाम वर्णित कृषि भूमि में मानाराम के फौत होने के बाद प्रार्थीगण के पिता व पति जसवन्त सिंह को प्राप्त होने वाले 1/5 हिस्सा कृषि भूमि प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है। जिसकी प्रार्थीगण धोषणा प्राप्त करने के हकदार है व अच्छी मंदी व खाला रास्ता की सुविधा अनुसार प्रार्थीगण का खाता विभाजन किया जावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:22:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

मिन अप्रार्थी को कोई आपति व एतराज नही होगा यह कि प्रार्थना पत्र की वर्णित कथन मनगढ़त व असत्य होने से अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी किसी के नाजायज दबाव में नही है प्रार्थीगण ने तमाम तथ्य मिथ्या व झूठे अंकित किये है व ना ही उक्त कृषि भूमि किसी अन्य व्यक्ति को रहन बैय करने की फिराक में है। प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति नही हो रही है ना ही प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। जवाब अप्रार्थी संख्या 3 प्रस्तुत नहीं करने पर बंद किया गया है। स्टेट जवाब प्राप्त हो चुका है शामिल वाद पत्र है।

आदेश

बहस उभय पक्ष सुनी गई बहस में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र में जारी निषेधाज्ञा ता दावा फैसला कन्फर्म करने हेतु निवेदन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा बहस में कथन किया गया कि प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति नही हो रही है ना ही प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज हेतु कथन किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 ता 7 की ओर से अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया गया कि प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थी संख्या 1 ने आपस में मिलिभगत कर झुठे तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थीगण को कोई अपुर्णीय व अपिरेमय क्षति नहीं हो रही। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में ना होकर हम अप्रार्थीगण के पक्ष बनता है प्रार्थना पत्र खारित फरमाया जावे। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उभय पक्ष अधिवक्ता बहस सुनी गई। वाद ग्रस्त रकबा पैतृक कृषि भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा रही है प्रार्थना पत्र में अस्थाई निषेधाज्ञा को ता दावा कर्म्फम करने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है क्योंकि रिकार्डिड काश्तकार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पिता/नाना/दादा है जिनकी मृत्यु हो चुकी है जिसके कारण प्रश्नगत रकबा को बैचान एवं रहन बैय करने के अप्रार्थीगण कोई अधिकारी नहीं है जिसपर सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णिय क्षति जैसे विन्दू पक्ष में साबित नहीं होने से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पक्षकारों को प्रतिबंधित किया जाना न्याय संगत नही है। प्रार्थना पत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 03.12.24 खारिज की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:22:52 IST
Reason: SelfAttested